10/2/23 पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी० मे वर्णित कारणो को दोहराते हुए दिनांक 11.11.04 को अवकाश घोषित हो जाने की आशंका के रहते न तो प्रार्थीगण और न ही प्रार्थीगण के अधिवक्ता वक्त आवाज पर उपस्थित नही हो पाने का सदभावक कारण दर्शाते हुए अपने प्रा०पत्र को स्वीकार कर वाद पत्र को जो दिनांक 11.11.04 को खारीज हो गया उसे पुनः नम्बर पर लिये जाने की ईस्तदुआ की। इसके विपरीत थाम्भी खण्डन मे विपक्षीगण की ओरसे उनके अधिवक्ता ने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अनुपस्थिति का कोई कारण संतोषप्रद न होने से एव प्रार्थीगण अपनी लापरवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होने का कथन किया। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण देल्ला और लादु दोनो अथवा इनमे से किसी एक व्यक्ति के भी

तहसील अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:37:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व्य०प्र० पर हस्ताक्षर नहीं है। और न उनमे से किसी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। यही नहीं प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी दल्ला व लादु का कोई वकालतनामा भी साथ मे प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसिलिए प्रार्थीगण द्वारा न तो आवेदन पर किसी के हस्ताक्षर न होने से, शपथपत्र भी इन दोनो प्रार्थीगण मे से किसी का भी शपथपत्र नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र मेनटेनेबुल नहीं है और न प्रोपर है, क्यो कि वादीगण का वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारीज होते ही वादीगण द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या प्लीडर का वाद पत्र के साथ प्रस्तुत वकालतनामा समाप्त (Terminate) हो चुका है। इसिलिए प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारीज फरमाया जावे। अपने कथन की पुष्टि मे 2014 (3) W.R.N. 97 पर प्रकाशित न्यायिक उद्धरण जयदेवी पाँडे बनाम रामगोपाल सैनी वगैरा पेश किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व्य०प्र० धारा 151 जा·दी० पर प्रार्थीगण दल्ला और लादु दोनो मे से किसी के हस्ताक्षर न होना ज्ञात होता है। ऐसे ही शपथपत्र पर भी किसी के हस्ताक्षर भी पक्षकार के नही है, साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण दल्ला और लादु द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं होना साफतौर से ज्ञात होता है, [illegible] है। पत्रावली की आडिशिक के अध्ययन [illegible] तक ऐसे आधार होना प्रार्थना पत्र [illegible] और उदासीनता का कारण भी दर्शाया [illegible] से भी सतोषप्रद एवं युक्तियुक्त न होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-9 व धारा 151 जा·दी० को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested